116

223

1

नि0 5094/2018/रीवा/भू.रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल (म0प्र0) ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

1. श्यामवती पत्नी मुन्नालाल वर्मा

2. मुन्नालाल तनय भूराराम वर्मा

निवासी वार्ड क्रमांक-5 सिरमौर, तहसील सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0)

----आवेदकगण

बनाम

1. महेश प्रसाद तनय रामकुमार पाण्डेय निवासी ग्राम सिरमौर वार्ड क्रमांक-05 तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

2. म0प्र0 राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त गिर्द तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

---अनावेदकगण

अधि0 श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, द्वारा पेश 21.8.18

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0 बिरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक गिर्द (सिरमौर) जिला रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 93ए/12/2017-18 मे पारित दिनांक 16.07.18

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः-

1. अधीनस्थ अधिकारी राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन संबंधी की गई कार्यवाही व पटवारी द्वारा सीमांकन करने संबंधी दिए गए पुष्टीकरण का आदेश दिनांक 16.07.18 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया तथा सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. भूमि नं-573 का कुल रकवा 1.91ए0 था जो कि अलग-अलग दिनांक को क्रय करने के आधार पर खसरे मे क्रेताओं के नाम उपखंण्ड क्रमांक 573/1, 573/2 व 573/3 काय हुए किन्तु नक्शा मे कोई भी उपखंण्ड आज तक कायम नही है दिनांक 03.08.18 की मौके की स्थिति का विवरण नजरी नक्शा अनुलग्न "अ" मे जो निगरानी ज्ञापन का अंग है दर्शायी जा रही है।

(116)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग05094/रीवा/भू–रा0/2018 जिला–रीवा

श्रीमती श्यामवती वर्मा/महेश प्रसाद पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 93/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	